

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग


क्रमांक प.3(1061)नविवि/3/2012पार्ट

जयपुर, दिनांक :- 14 AUG 2017

आदेश

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन संख्या 116/1998 जस्टिस सुनंदा भण्डारे फाउण्डेशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 26.03.2014 की पालना में विशेष योग्यजन की समस्याओं के निस्तारण हेतु श्री बाल मुकुन्द शर्मा, वरिष्ठ उप शासन सचिव नगरीय विकास विभाग को एतद्वारा नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।


भवदीय,


(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन मण्डल विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि आवासन मण्डल के लिए विशेष योग्यजन की समस्याओं के निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करे।
4. संभागीय आयुक्त (समस्त) राजस्थान।
5. जिला कलेक्टर (समस्त) राजस्थान।
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/अजमेर विकास प्राधिकरण को भेजकर कर अनुरोध है कि विशेष योग्यजन की समस्याओं के निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करे।
7. सचिव, नगर विकास न्यासको भेजकर कर अनुरोध है कि नगर सुधार न्यास .. के लिए विशेष योग्यजन की समस्याओं के निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करे।
8. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त अधिसूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
12. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-प्रथम